

आदेश

निम्नलिखित नर्स श्रेणी द्वितीय के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	सुनिता/मन्दरूप सिंह	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	प्रा.स्वा.केन्द्र, मेहनसर, झुंझुनू संगीता के स्थान पर
2	संगीता	प्रा.स्वा.केन्द्र, मेहनसर, झुंझुनू	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर सुनिता के स्थान पर
3	डूंगरसिंह चारण	आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	सा.स्वा.केन्द्र, बुचिया बडा खण्ड सागवाडा, डूंगरपुर पुष्पा रोट के स्थान पर
4	पुष्पा रोट	सा.स्वा.केन्द्र, बुचिया बडा खण्ड सागवाडा, डूंगरपुर	आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर डूंगरसिंह चारण के स्थान पर
5	जमील खान	जेएलएन चिकित्सालय, अजमेर	गणगौरी चिकित्सालय, जयपुर सविता यादव के स्थान पर
6	सविता यादव	गणगौरी चिकित्सालय, जयपुर	जेएलएन चिकित्सालय, अजमेर जमील खान के स्थान पर
7	हर्षा कुमारी शर्मा	आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	जिला चिकित्सालय, बांसवाडा रोहित डामोर के स्थान पर
8	रोहित डामोर	जिला चिकित्सालय, बांसवाडा	आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर हर्षा कुमारी शर्मा के स्थान पर


- संविदा/रिवर्स डेपुटेशन/एनएचएम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारियों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं होगी।
- अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में किये गये स्थानान्तरण पर यदि कार्मिक की नियुक्ति अनुसूचित क्षेत्र हेतु हुई है अथवा कार्मिक का अनुसूचित क्षेत्र में कार्य हेतु विकल्प पत्र का सेवा पुस्तिका/सेवाभिलेख में इन्द्राज हो, तो उनके आदेश की क्रियान्विति नहीं होगी।
उपरोक्त शर्तों (1 से 2) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त करने वाले/कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, राजस्थान।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभाग।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
9. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर